जिला कलेक्टर
119/2016 श्रीगंगानगर

A3/1

अपील सूचना अधिकार संख्या 119/2016 अनवानी श्री गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र श्री धनकरण जी राठौड़ जाति राजपूत निवासी 79 हनुवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर बनाम तहसीलदार, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23–11–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्दकरण राठौड़ उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्दकरण राठौड़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2016 के द्वारा तहसीलदार, घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:–

1– चक 13 आर.जे.डी. मुरब्बा न0 78/40 व 78/38 पुराना खसरा न0 14 का नामान्तरकरण सं0 25 सुगनकवर पत्नि धने सिंह का शिवदयाल सिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत के नाम किस आधार पर भरा गया, समस्त दस्तावेज प्रदान करें।
2– जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 16–12–57 जागीरदार रोजड 3697 जागीर रोजड़ी तहसील अनूपगढ की नकल प्रदान करें।
3– वक्त प्रथम सेटलमेंट से पूर्व गांव रोजड़ी के जागीरदार कौन थे, जागीर रोजड़ी रिज्यूम कब व किससे की गई, जागीर की सम्पति की सूचना प्रदान करें, पर्सनल प्रोप्रटी की सूची भी दे।
4– वक्त प्रथम सेटलमेंट से पूर्व एवं रियासत काल में व प्रथम सेटलमेंट के बाद जागीरदार रोजड़ी अखेसिंह के नाम भूमि कितनी थी व आज कितनी है।
5– वक्त जागीर रिज्यूम के समय पुगल, सत्तासर व रोजड़ी की जागीरदार कौन थे, जागीर रोजड़ी के मुआवजे की सम्पूर्ण पत्रावली प्रदान करें।

अपीलार्थी श्री गोविन्दकरण राठौड़ द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2016 द्वारा तहसीलदार, घड़साना से चाही गई 5 बिन्दुओ की सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई उत्तर दिया गया है। इसलिए तहसीलदार, घड़साना के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे और उन पर शास्ति लगाई जाकर उसे दिलवाई जावे एवं चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार (भू.अ.) घड़साना ने पत्र सं0 3387 दिनांक 29.07.2016 के साथ जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र के तहत कुल पांच बिन्दुओ के संबंध में सूचना चाही थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का रिकार्ड काफी पुराना था, राजस्व तहसील घड़साना का कुछ रिकार्ड किसान आंदोलन के दौरान आगजनी से जल गया था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध तहसील कार्यालय के रिकार्ड रूम में तलाश करवाई गई किन्तु रिकार्ड नही मिलने पर तहसील कार्यालय में जो रिकार्ड उपलब्ध था उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां पत्र सं0 3345 दिनांक 27.07.16 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवा दी गई थी और अपीलार्थी को सह भी अवगत करवा दिया गया था कि शेष सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त करे। उनके द्वारा जबाब में यह भी प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी के द्वारा चाहे गये रिकार्ड को उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही नही बरती गई है। रिकार्ड तलाश करने समय लगनें के कारण अपीलार्थी को समय पर सूचना नही भिजवाई जा सकी। उनके द्वारा जानबूझ कर देरी नही की गई है उनके कार्यालय स्तर पर प्रार्थी को कोई सूचना दिया जाना शेष नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
119
2016
A3/2

तहसीलदार, घड़साना द्वारा पत्र सं0 3345 दिनांक 27.07.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

1– चक 13 आर.जे.डी. के मुरब्बा न0 78/38 व 78/40 के कुल 23 बीघा 10 विस्वा का नामान्तरकरण सं0 25 दिनांक 23.03.93 व सुगनकवर पत्नि धने सिंह का शिवदयाल सिंह पुत्र उदयसिंह के नाम जिन दस्तावेजो के आधार पर दर्ज किया गया उनकी फोटो कोपी (प्रमाणित प्रति) सलंग्न है।
2– आप द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 16–12–57 की नकल चाही गई है जो आप जिला कार्यालय श्रीगंगानगर से प्राप्त करे।
3– प्रथम सेटलमेंट से पूर्व गांव रोजड़ी का जागीरदार कौन था जागीर रोजड़ी रिज्यूम कब किसके की गई, जागीर की सम्पति की सूचना प्रदान करें।
बिन्दु संख्या 3 की सूचना जिला अभिलेखागार बीकानेर से प्राप्त करे। उक्त रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
4– वक्त प्रथम सेटलमेंट के बाद जागीरदार रोजड़ी अखे के नाम कितनी भूमी थी व आज कितनी भूमि है।
बिन्दु संख्या 4 की सूचना जिला अभिलेखागार बीकानेर से प्राप्त करें व वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अखे सिंह के नाम कोई भूमि नही है।
5– वक्त जागीर रिज्यूम के समय पुगल, सत्तासर व रोजड़ी के जागीरदार कौन थे, जागीर रोजड़ी के मुआवजे की सम्पूर्ण पत्रावली प्रदान करें।
बिन्दु संख्या 5 की सूचना जिला अभिलेखागार बीकानेर से प्राप्त करे।

चूंकि अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.07.2016 के पत्र सें भेजी जा चुकी है और बिन्दु सं0 2 का संबंध जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से व बिन्दु सं0 3, 4, 5 की सूचनाओ का संबंध अभिलेखागार, बीकानेर से होने के कारण संबंधित कार्यालयो से प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को सूचित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस प्रकार तहसीलदार, घड़साना द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार, घड़साना को हिदायत की जाती है कि भविष्य में उत्तर 30 दिवस के भीतर ही भिजवाया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर